

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

—: अधिसूचना :-

दिनांक 24/02/2016

क्रमांक.....812...../7-ए/जसं./तशा/ डी-4/औजप्र/01,

छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम-1931 (क्र.-3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-3843/7-ए/जसं./तशा/औजप्र /02 / डी-4, रायपुर, दिनांक 31.05.2010 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती है :-

स. क्र.	उपयोग का प्रकार		विशेष विवरण	जल-दर
1	2		3	4
1.	औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन	अ	शासकीय स्रोत :-	
		1	बांध/जलाशय/बैराज/ एनीकट आदि से ...	
		(i)	विभागीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से..	रु. 10.50 प्रति घ.मी.
		(ii)	संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से....	रु. 5.50 प्रति घ.मी.
		2	नहर प्रणाली से.....	रु. 12.25 प्रति घ.मी.
		ब	नैसर्गिक/ स्वनिर्मित स्रोत से....	रु. 3.51 प्रति घ.मी.
2.	जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात पुनः प्राप्ति)	अ	शासकीय स्रोत :-	
		1	बांध/ जलाशय/ बैराज/ एनीकट आदि से...	रु. 1.07 (एक रु. सात पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्कैलेशन चार्जस
(क)	25मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत परि.	2	नहर प्रणाली से...	रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे)/ विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्कैलेशन चार्जस
		ब	नैसर्गिक/ स्वनिर्मित स्रोत से	रु. 0.35 (पैतीस पैसे)/वि.ई.उ. पर
(ख)	25मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें		शासकीय/ नैसर्गिक/ स्वनिर्मित आदि विभिन्न स्रोत से....	रु. 0.06 (छः पैसे)

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 24.02.2016) से प्रभावशील रहेंगी।

3. औद्योगिक प्रयोजन में भू-जल उपयोग की जल-दर, नैसर्गिक स्रोत की जल-दर से 25% अधिक होगी।

4. जल दरों का पुनर्निर्धारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

5. उपरोक्त तालिका के स.क्र.- 1, कॉलम क्र.-3 के बिन्दु क्र.-1 (ii) अंतर्गत कॉलम क्र.-4 में प्रस्तावित जल-दर रु. 5.50 प्रति घन मीटर का लाभ उन्ही संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा एवं यह जल-दर तब तक ही लागू रहेंगी जब तक संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल-कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल-कर की राशि में समायोजन न हो जाये। इस प्रकार समायोजन पश्चात् संबंधित प्रकरण में तालिका के स.क्र.-1, कॉलम क्रमांक-3 के बिन्दु क्र.-1(i) अंतर्गत कॉलम क्रमांक-4 में प्रस्तावित जल-दर रु.10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत्समय में प्रचलित जलदर लागू होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ. बी.एल. तिवारी)

सचिव,

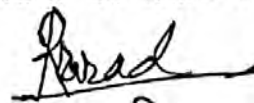
जल संसाधन विभाग,

मंत्रालय, नया रायपुर

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/कृषि विभाग/वित्त विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग/राजस्व विभाग/लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/सामान्य
प्रशासन विभाग/विधि विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/ ऊर्जा विभाग/वन
विभाग/नगरीय प्रशासन विभाग/विधि विभाग/आयाकट विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,
नया रायपुर।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. संयोजक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, घड़ी चौक, रायपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर/रायपुर।
6. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/बस्तर/सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़।
7. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
8. मुख्य अभियंता,परियोजना/कछार, जल संसाधन विभाग,
रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर।
9. जिलाध्यक्ष, जिला-रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर)/जशपुर/रायगढ़/जांजगीर-चांपा/
सरगुजा (अंबिकापुर)/कोरबा /कोरिया /दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा (कबीरधाम)/धमतरी
/महासमुंद/दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)/उत्तर बस्तर (कांकेर)/नारायणपुर/बीजापुर/
बलौदाबाजार/गरियाबंद/बालोद/बेमेतरा/कोण्डागांव/सुकमा/मुंगेली/बलरामपुर/सूरजपुर
10. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, उद्योग भवन, तेलीबांधा,
रायपुर।
11. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, घड़ी चौक, रायपुर।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।
13. क्षेत्रीय संचालक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, रीना अपार्टमेंट, दूसरा माला, पचपेड़ी नाका, धमतरी
रोड, रायपुर।
14. कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता
(विभागाधीन समस्त मैदानी कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता)।
15. उप नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर
की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

कृपया शीघ्र प्रकाशन उपरांत अधिसूचना की 100 प्रतियों का प्रदाय विभाग को
शीघ्र करने का कष्ट करें।



अवर सचिव

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, नया रायपुर